न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 33/15 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मुरली सैनी पुत्र स्व0 रामदेवा सैनी जाति माली निवासी तहसील रोड, मुण्डावर जिला अलवर ।

:–– अपीलांट

बनाम

1. विजय कुमार धोबी पुत्र स्व0 मोहन लाल धोबी पौत्र स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी निवासी धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।
2. बिजेन्द्र कुमार धोबी पुत्र स्व0 मोहन लाल धोबी पौत्र स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी निवासी धोबियों का मौहल्ला ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।
3. सुनीता पुत्री स्व0 मोहनलाल धोबी पौत्री स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी निवासीस धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर ।
4. अनिता पुत्री स्व0 मोहनलाल धोबी पौत्री स्व0 हीरालाल धोबी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जाति धोबी, निवासी धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर ।

5. सुशीला पुत्री स्व0 मोहनलाल धोबी पौत्री स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी निवासी धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर ।

6. दया पुत्री स्व0 मोहन लाल धोबी पौत्री स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी, निवासी धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर

7. रोशनलाल धोबी पुत्र स्व0 हीरालाल धोबी जाति धोबी निवासी धोबियों का मौहल्ला, ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर

8. राज0 सरकार जरिये लैंड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

9. उप पंजीयक, मुण्डावर

:--- असल रेस्पो0

10. जिलेराम सैनी दत्तक पुत्र हरना सैनी जाति माली निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:--- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 1.5.2015

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री निर्मल कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0सं01से7 :- श्री शैलेन्द्र भार्गव

निर्णय दिनांक 4.11.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा दावा संख्या 372/14 उनवान मुरली बनाम विजय में पारित निर्णय दिनांक 1.5.2015 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा प्रतिवादी अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट पेश किया । दौराने विचारण वाद पत्र प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2719 रकबा 42 एयर साबिक नम्बर 1462 कस्टोडियन है, जो वादी के पिता रामदेवा व तरतीबी प्रतिवादी के पिता हरना सैनी को काश्त करने के लिऐ मियादी पटटे पर दी गई थी । मियादी पटटे की शर्त अनुसार पटटेदार उस गांव का रहने वाला होना चाहिये तथा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करें एवं आराजी की कीमत पूर्ण रूप से दें । पटटेदार ने उक्त शर्तों की पालना नहीं की । इतना ही जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 के खाता संख्या 823 में खसरा नम्बर 1462 में पटटेदारों के नाम का अंकन नहीं है, अन्य लोगों के नाम का अंकन है । बाद में पटटेदारों का कब्जा नहीं होने के कारण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर ने उक्त आवंटन रदद कर दिया । इसके बाद उक्त आराजी तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर ने दिनांक 6.1.76 को हीरालाल पुत्र पीरिया धोवी को आवंटित कर दी तथा दखलनामा दे दिया,जिसका अंकन घटना संख्या 54 दिनांक 16.1.76 में है । जमावन्दी सम्वत 2036 के कालम नम्बर 11 में हीरालाल पुत्र पीरिया धोबी को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है । खसरा नम्बर 2033 के कॉलम नम्बर 17 में आवंटी हीरालाल पुत्र पीरिया धोवी की काश्त बदस्तूर दर्ज है । दिनांक 16.9.82 को आराजी की कीमत जरिये चालान जमा कराने पर तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर ने सनद पटटा खातेदारी का पटटा नम्बर 35 पुनर्वास 16 (58) दिनांक 16.9.82 को जारी किया गया था । सनद पटटा मिलने के उपरान्त प्रतिवादीगण के पिता को मोहनलाल व उनके चाचा रोशनलाल, जो इस वाद में प्रतिवादी नम्बर 7 है, को खातेदारी प्राप्त हो गई । वादी के पिता का नाम खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं हुआ और ना ही उसका कब्जा रहा था । वादी का जो मियादी पटटा निरस्त किया गया था, उसकी अपील कानूनन उपखंड अधिकारी को धारा 175 आर0 टी0 एक्ट के तहत सुनने का अधिकार नहीं है । तहसीलदार के आदेश की अपील कलेक्टर द्वारा ही सुनी जा सकती है । चूंकि भूमि कस्टोडियन है,जिसकी खातेदारी केवल कीमत भरने पर ही मिलती है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं,जिसकी भूमि पर खातेदारी देने पर धारा 42 के तहत पाबन्दी है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के

Scanned by CamScanner

मध्यनजर वाद पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार उपखंड अधिकारी को नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र खारिज किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अभिकथन किया है कि आराजी मुतनाजा उनके पिता रामदेवा एवं तरतीबी प्रतिवादी के पिता हरना सैनी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है । राजस्व रेकार्ड में हमारे नाम का अंकन हो रहा है, परन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने झूठा हक त्याग का शपथ पत्र तहरीर कराकर राजस्व कर्मचारियों से साजबाज होकर आराजी अपने नाम करा ली । इस गलत अंकन को दुरूस्त कराने का हमको पूरा अधिकार है । धारा 42 के प्रावधान दुरूस्ती पर लागू नहीं होते हैं । ये प्रावधान हस्तांतरण पर लागू होते हैं । दुरूस्ती के वाद पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार उपखंड अधिकारी को है । प्रतिवादी प्रार्थी को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, यह न्यायालय द्वारा परीक्षण का अधिकार है । अगर उसे किसी प्रकार की आपत्ति थी तो उसे वह अपने जवाब दावा में उठा सकता है । वाद पत्र तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, परन्तु गौर नहीं किया गया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि पूर्व में वादीगण अपीलांटस के पूर्वजों को मियादी अलोट हुई थी, परन्तु इन्होंने आवंटन की शर्तों का पालना नहीं किया, इसलिये तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर ने इनका पटटा निरस्त कर दिया । इसके प्श्चात भूमि हमारे बुजुर्ग को कीमतन आवंटित की गई थी और खातेदारी की सनद जारी कर दी गई थी । जब इनका मियादी पटटा निरस्त किया गया था, उसी समय इनको कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर के यहां अपील करनी चाहिये थी या फिर हमारे पक्ष में जो सनद जारी की गई थी, उसकी सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी । चूंकि भूमि कस्टोडियन है, जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार नवीन नियमों के तहत राजस्व न्यायालय को नहीं है । इसीलिये सही तौर पर हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें पेश की :–

1. 2016 ए0आई0आर0 (एस0सी0) पेज 3282
2. 2000 (1) डब्ल्यू0 एल0 सी0 (राज0) पेज 604

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3. 2001 आर0 आर0 डी0 पेज 448

4. 1999 (1) राज0 एल0 आर0 पेज 560

5. 2000 आर0 बी0 जे0 393

6. 1996 आर0 आर0 डी0 पेज 75

7. 2006 (6) आर0 एल0 डब्ल्यू0 पेज 1083

8. राजस्थान एल0 आर0 एक्ट (परमानेंट अलोट ऑफ इवेक्यू एग्रीकल्चरल लैण्ड) रूल्स, 1963

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि विवादित भूमि का मियादी पटटा वादी अपीलांट के पूर्वज को जारी किया गया था । इसके बाद आवंटन की शर्तो का पालन नहीं करने के कारण तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर द्वारा उक्त पटटा खारिज कर दिया गया था । तत्पश्चात प्रतिवादी असल रेस्पो0 प्रार्थी के पूर्वज को खातेदारी का पटटा संख्या 35 दिनांक 16.9.82 कीमतन जारी किया गया था । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि कस्टोडियन है । विवादित भूमि, जो कि कस्टोडियन है, का पटटा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, मुण्डावर द्वारा जारी किया गया था, जिसकी अपील सुनने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर को है । आदेश 7 नियम 11 (क) में प्रावधान दिया गया है कि जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है, वहां वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । इसी प्रकार आदेश 7 नियम 11 (घ) सी0 पी0 सी0 में भी प्रावधान दिया गया है कि जब वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो तो वाद पत्र नामंजूर कर देना चाहिये । चूंकि भूमि कस्टोडियन है, जिसकी सनद कीमतन प्रार्थी प्रतिवादी रेस्पो0 के पूर्वज को साल 1982 में जारी की गई थी । वाद पत्र साल 2014 में पेश किया गया है । 32 साल तक वादी के लिये वाद हेतुक प्रकट था । उसे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी, परन्तु उसने नहीं की । अब उपखंड अधिकारी के यहां वाद पत्र पेश किया है । इस वाद पत्र में उसने सनद पटटा को बातिल व बेअसर करार दिलाने की भी रिलीफ चाही है, जो कानूनन देय नहीं है । अर्थात तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर द्वारा जारी कस्टोडियन भूमि की सनद की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये । कस्टोडियन की भूमि का वाद हेतुक राजस्व न्यायालय में प्रकट नहीं होता है । इस प्रकार सिद्ध है कि वादी अप्रार्थी द्वारा पेश वाद पत्र का वाद हेतुक कस्टोडियन भूमि होने के कारण राजस्व न्यायालय में प्रकट नहीं होता है । वादी अपीलांट अप्रार्थी ने अपना वाद पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

होने के कारण राजस्व न्यायालय में प्रकट नहीं होता है । वादी अपीलांट अप्रार्थी ने अपना वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट के तहत पेश कर विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण प्रार्थीगण रेस्पो0 के नाम को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर अपने नाम का अंकन कराने की भी रिलीफ चाही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओं 13, 15 एवं 19 के तहत ही खातेदारी दी जा सकती है । विवादित भूमि कस्टोडियन है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के तहत खातेदारी नहीं दी जा सकती, ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई इन्द्राज दुरूस्ती की जा सकती है । विवादित भूमि पर कस्टोडियन नियमों के तहत ही चाराजोही की जा सकती है । चूंकि विवादित भूमि कस्टोडियन है, जिस पर वादी अप्रार्थी अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत रिलीफ चाहता है, जो कि देय नहीं है । इस प्रकार वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है ।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में यह सिद्ध है कि विवादित भूमि कस्टोडियन है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान नहीं की जा सकती । वादी अपीलांट अप्रार्थी का वाद आदेश 7 नियम 11 सी0 पी0 सी0 के तहत विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने सही तौर पर खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2015 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner